

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2019-माघ 19, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम आरती मानिले पिता मधुकर मानिले था, शादी के बाद मैंने अपना नाम मानसी कंसारे पति अमन कंसारे कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मानसी कंसारे से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(आरती मानिले)

पिता - मधुकर मानिले.

(878-बी.)

नया नाम :

(मानसी कंसारे)

पति-अमन कंसारे,

25, गावशिंदे कॉलोनी, खरगोन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूरा नाम उपनाम सहित रिचा राजपूत पिता नारायण सिंह है, जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है. किन्तु मेरी 10वीं व 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम उपनाम रहित रिचा पिता नारायण सिंह लिखा हुआ था, जिसे भी अब मैंने सुधरवाकर व अपना उपनाम लगाकर रिचा राजपूत करवा लिया है. अतः रिचा व रिचा राजपूत दोनों नाम मेरे ही हैं, इसलिये मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम उपनाम सहित रिचा राजपूत पिता नारायण सिंह ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(रिचा)

पिता-नारायण सिंह,

(879-बी.)

नया नाम :

(रिचा राजपूत)

पिता-नारायण सिंह,

ग्राम- उमरिया जुझारी,

तह. मझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Mr. Jhamak Lal Rathi (Rajendra Rathi / Rajendra Maheshwari) aged about 57 Years. S/o Damodar Das Rathi R/o. at 121, Mahatama Gandhi Marg, Nagda, Ujjain- 456335 M.P. I changed my name from Mr. Rajendra Rathi / Rajendra Maheshwari To Jhamak Lal Rathi.

Old Name:

(RAJENDRA RATHI/ RAJENDRA MAHESHWARI)

(880-B.)

New Name :

(JHAMAK LAL RATHI)

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Sushma Rathi, aged about 47 Years. W/o Jhamak Lal Rathi (Rajendra Rathi / Rajendra Maheshwari) R/o. at 121, Mahatama Gandhi Marg, Nagda, Ujjain- 456335 M.P. I changed my name from Mrs. Sushma Maheshwari To Sushma Rathi.

Old Name:

New Name :

(SUSHMA MAHESHWARI)**(SUSHMA RATHI)**

(881-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, जसप्रीत कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह, निवासी विनय नगर, सेक्टर 4, सी 1/33, ग्वालियर मध्यप्रदेश का विवाह गुरमीत सिंह पुत्र श्री सरदार करतार सिंह, निवासी विनय नगर सेक्टर 4, सी 1/33, ग्वालियर मध्यप्रदेश से दिनांक 11-06-2003 को सम्पन्न हुआ था, विवाह के पूर्व सूचनाकर्ता का नाम वंदना खटवानी पुत्री श्री श्यामलाल खटवानी, निवासी सिंध विहार कॉलोनी, जिला ग्वालियर था तथा सूचनाकर्ता का नाम वंदना खटवानी नाम विवाह पूर्व सभी दस्तावेजों एवं समस्त अंकसूची में अंकित है. विवाह उपरांत सूचनाकर्ता का नाम वंदना खटवानी से बदलकर जसप्रीत कौर रख दिया गया है तथा सूचनाकर्ता इसी नाम से जानी-पहचानी जाती है तथा सूचनाकर्ता ने नोटरी श्री अमर सिंह माहौर के समक्ष स्टाम्प पर दिनांक 25-10-2018 को शपथपत्र सम्पादित कर नाम वंदना खटवानी से जसप्रीत कौर परिवर्तन किये जाने के संबंध में शपथग्रहण की है. अतः सूचनाकर्ता यह आम सूचना प्रकाशित करती है कि भविष्य में सूचनाकर्ता वंदना खटवानी के स्थान पर जसप्रीत कौर के नाम से जानी-पहचानी जाएगी.

पुराना नाम :

नया नाम :

(वंदना खटवानी)**(जसप्रीत कौर)**

पत्नी-श्री गुरमीत सिंह.

(882-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अमित कानूनगो पिता श्री दिलीप कानूनगो, पता-49, माता जी मंदिर के सामने, नगर निगम रोड़, इन्दौर मध्यप्रदेश एतद् सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि, अभी तक मेरा नाम अमित कानूनगो के नाम से जाना-जाता रहा है अब से मुझे अमित कानूनगो के स्थान पर अमित पालीवाल के नाम से जाना जाये, पहचाना जाये, मैं अपना सरनेम (उपनाम) आज दिनांक से पालीवाल ही लिखूंगा और अपने हस्ताक्षर भी अमित पालीवाल के नाम से करूंगा. अतः इस जाहिर सूचना से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मुझे अमित पालीवाल के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

नया नाम :

(अमित कानूनगो)**(अमित पालीवाल)**

(883-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती वंशीका गाँधी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम दिव्या सूरी पुत्री श्री अनिल सूरी (DIVYA SURI D/o ANIL SURI) था. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से श्री विपुल गाँधी के साथ हो गया है विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती वंशीका गाँधी पत्नी श्री विपुल गाँधी (Smt VANSHIKA GANDHI W/o VIPUL GANDHI) हो गया तथा वर्तमान में मुझे इसी नाम से पहचानी एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाय.

पुराना नाम :

नया नाम :

(दिव्या सूरी)**(वंशीका गाँधी)**

पता- 334, ई-4, भोजपुरी क्लब, अरेरा कॉलोनी,

तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(895-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सुलक्षणा शर्मा है, मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में भी मेरा नाम सुलक्षणा शर्मा दर्ज है.

शादी के बाद मैं अपना सरनेम बदलकर शर्मा की जगह भार्गव करना चाहती हूँ।

अतः आज से मुझे सुलक्षणा भार्गव के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(सुलक्षणा शर्मा)

नया नाम :

(सुलक्षणा भार्गव)

पत्नी श्री दीपक भार्गव,
निवासी-वार्ड 12, रामलला पथ, सिरोंज.

जिला विदिशा.

(901-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रामनरेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम नरेश कुमार है जो कि मेरे बीमा पॉलिसी क्र. 200116728 में अंकित है जबकि वर्तमान में मैं रामनरेश के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में अंकित है तथा भविष्य में भी मैं रामनरेश के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा। अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200116728 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम नरेश कुमार के स्थान पर रामनरेश किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(नरेश कुमार)

नया नाम :

(रामनरेश)

ग्राम मालनपुर, तहसील गोहद,

जिला भिण्ड.

(896-बी..)

सार्वजनिक सूचना

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि फर्म में गुरुकृपा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 1/2013, सन् 2013-14, दिनांक 06-04-2013 है, इस भागीदारी फर्म में निम्नलिखित बदलाव दिनांक 31-10-2016 से किया है।

श्रीमती शैलेश गुप्ता पति श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पार्टनर मे. गुरुकृपा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक ने दिनांक 31-10-2016 से अपनी पार्टनरशिप से स्वेच्छापूर्वक रिटायरमेन्ट ले लिया है, दिनांक 01-11-2016 से इनका इस फर्म से कोई लेना-देना शेष नहीं रहेगा।

द्वारा - मे. गुरुकृपा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक,

रवि केशरी,

(भागीदार).

(884-बी.)

पता-जोरा भारतीय लॉज, ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.).

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Aradhya Construction फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/00231/17, दिनांक 04-09-2017 में से भागीदार Shri Rahul Sahu S/o Shri Mathura Prasad Sahu फर्म की भागीदारी से दिनांक 26-11-2018 से पृथक् हो गये हैं तथा फर्म की भागीदारी में दिनांक 26-11-2018 से Shri Rajat Sharma S/o Shri Pooran Chand Sharma सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में भागीदार Shri Danendra Sharma S/o Shri Pooran Chand Sharma एवं Shri Rajat Sharma S/o Shri Pooran Chand Sharma द्वारा फर्म संचालित रहेगी।

" M/s Aradhya Construction,"

Danendra sharma,

(Partner)

Panchwati Colony, Phase 3,

Opp. Post Office, Karond, Bhopal.

" M/s Aradhya Construction,"

Rajat sharma,

(Partner)

Panchwati Colony, Phase 3,

By pass Road, Near Marghat, Karond, Bhopal.

(885-B.)

NOTICE

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Shri Radheshyam Sharma S/o Shri Govind Ram Sharma & Smt. Manjula Sharma W/o Shri Radheshyam Sharma retired from the partnership business of the

firm named M/s. Swastik food products, 39, Sajjan Nagar, Indore (M.P.) as partner vide Regn. No. 3/27/03/00307/12 Dated 26-03-2012 year 2011-12 as from 01-04-2018 and the constitution of the firm stand altered accordingly.

M/s. Swastik food products
Lokesh Sharma,
(Partner).

(887-B.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. बालाजी प्रोसेस, बुरहानपुर पार्टनरशिप फर्म के रूप में (पंजीयन क्रमांक 259/1996-97) सहायक पंजीयक, कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है, दिनांक 15 नवम्बर 2018 को इस भागीदारी फर्म का समापन हो गया है. जिसका भागीदारी समापन विलेख पत्र भी निष्पादित की गई है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जा रही है.

जगदीश प्रसाद मारू.
(भागीदार).

(888-बी.)

PUBLIC NOTICE

There is change in the shareholding in the Partnership Firm M/s. G. M. Associates having address at 508, Virat Nagar, Gali No. 2, Satna (M. P.) with effect from 23rd day of December, 2018. Now the Shareholding of Smt. Anita Mishra is 50% and Shailendra Gautam is 50%.

M/s. G. M. Associates
Shailendra Gautam,
(Partner).

(889-B.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स प्राईम कास्ट कन्स्ट्रक्शन, पता-59, परिचारिका नगर, तिलक नगर के पास, इन्दौर (पुराना पता-बाईपास रोड, नियर सिविल हॉस्पिटल, अंजड़, बड़वानी 451556, म. प्र. जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसायटीज, मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/31/07/0020/16 पर रजिस्टर्ड फर्म है जिसका गठन 2 भागीदार (1) श्री शिवपालसिंह राठौर पिता श्री भारतसिंह राठौर एवं (2) श्री नितेन्द्रसिंह तोमर पिता श्री करनसिंह तोमर ने भागीदारी विलेख दिनांक 10-02-2016 के अनुसार किया है. संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 24-11-2017 की शर्तों के अनुसार फर्म में आनन्द भाटिया पिता श्री हरीचंद भाटिया को उनकी सहमति एवं शेष पुराने भागीदार की सहमति से दिनांक 24-11-2017 से ही भागीदार बनाया गया है.

भागीदारी विलेख दिनांक 11-06-2018 की शर्तों के अनुसार श्री नितेन्द्रसिंह तोमर सहमति से फर्म से अलग हो गये हैं. दिनांक 03-11-2018 को संशोधित भागीदारी विलेख के अनुसार दो नये भागीदार 1. श्री आशीष मालवीय पिता श्री जगदीश प्रसाद मालवीय, निवासी डीएच 132, स्क्रीम नं. 74 सी, इन्दौर व 2. श्री दिपेश राय पिता श्री ग्यारसीलाल राय, निवासी-6-ए सुभाष नगर, तीन पुलिया, इन्दौर फर्म में शामिल हो गये हैं. फर्म का पता 59, परिचारिका नगर, तिलक नगर के पास किया है. दिनांक 31-12-2018 को संशोधित भागीदारी विलेख के अनुसार फर्म में एक नये भागीदार माखनसिंह मकवाना पिता श्री भीलूसिंह मकवाना, निवासी-143, राहुल नगर, पहली गली, ग्राम बिचौली, मर्दाना, इन्दौर को उनकी सहमति से शामिल किया है. अब भागीदारी फर्म निम्नलिखित भागीदारों द्वारा संचालित की जायेगी.

(1) शिवपाल सिंह राठौर, (2) आनन्द भाटिया, (3) आशीष मालवीय, (4) दिपेश राय, (5) माखनसिंह मकवाना.

मेसर्स प्राईम कास्ट कन्स्ट्रक्शन,
शिवपालसिंह राठौर,
(भागीदार).

(890-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री दुर्गा कन्सलटेंसी 27, मानसनगर, सागर पुनर्गठन किया गया है जिसके अनुसार फर्म के चार भागीदारों में से श्री रामदास अहिरवार एवं श्री रविन्द्र पटेल फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं श्री भगवानदास पंडा एवं श्री कार्तिकेय चौबे सम्मिलित हो रहे हैं.

मेसर्स श्री दुर्गा कन्सलटेंसी,
धनन्जय पंडा,
(भागीदार).

(891-बी.)

NOTICE**U/S. 45 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is hereby notified that M/s SHUBH BUILDERS AND DEVELOPERS registered office at F-7, Bhawani Tower, Ayodhya By Pass Road, Narela Shankeri, Bhopal (M.P) is a partnership firm which was dissolved on 1st October 2018 through mutual understanding by all the partners namely; (1) Shri.R.C. Rajput, (2) Shri. G.P Baghel, (3) Shri. N.S Rajput, (4) Shri. J.S. Rajput, (5) Shri. M.L. Sisodiya, (6) Shri. P.S. Parmar, (7) Shri. B.S. Rajput, (8) Shri. Shyam Kumar Baghel, (9) Shri. Barjor Singh, (10) Shri. M.S. Chouhan, (11) Shri. Kamal Singh Rajput, (12) Shri. Hemant Singh Rajput, (13) Shri. Lokesh Singh Rajput, (14) Shri Hemant Singh Rajput and (15) Shri. Arjun Singh Rajput w.e.f 1st October 2018 by virtue of the Deed of Dissolution executed amongst themselves on First day of January 2019.

That the firm was registered with the Registrar of firm under Registration No. 01/01/01/00174/12.

That the Accounts of the debtors and the creditors shall be settled by Shri. M.L Sisodiya, who has been authorized by the remaining partners to act in this behalf. He has also been authorised to do things as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction in process at the time of dissolution.

" M/s Shubh Builders And Developers,"

M. L. Sisodiya,

(Partner).

(892-B.)

PUBLIC NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is hereby noticed that M/s. Regal Samarth Construction Co. registered office at, Plot No. 13-A, Zone-I M.P Nagar, Bhopal is a partnership firm which was Incorporated on 2nd June 2011, was reconstituted on 22nd February 2012 due to the adm ission of the partner namely Shri. Surendra Singh Yadav S/o Shri Sohan Singh Yadav and again reconstituted on 1st April 2012 by virtue of the deed of retirement executed amongst themselves on 13th June 2012 due to the Retirement of the partner Shri. Surendra Singh Yadav S/o Shri. Sohan Singh Yadav .

That the firm was registered with the Registrar of firm under Registration No. 01/01/01/00154/11, Year 2011-12.

" M/s Regal Samarth Construction Co.,"

K. L. Sharma,

(Partner)

Plot No. 13-A, Zone-I,

M. P. Nagar, Bhopal.

(893-B.)

U/S. 45 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is hereby notified that M/s. R.B.M ASSOCIATES registered office at 13/A, Meganine Floor, Zone-1, M.P Nagar, Bhopal (M.P) is a partnership firm which was dissolved on 1st January 2019 through mutual understanding by all the partners namely; (1) Mr. K.L Sharma, (2) Mr. S.K Maheshwari, (3) Mr. Mahesh Singh Rajput, (4) Mr. Raghundan Singh Rajput w.e.f 1st January 2019 by virtue of the Deed of Dissolution executed amongst themselves on First day of January 2019.

That the firm was registered with the Registrar of firm under Registration No. 01/01/01/00289/14.

That the Accounts of the debtors and the creditors shall be settled by Mr. S.K Maheshwari, who has been authorized by the remaining partners to act in this behalf. He has also been authorised to do things as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete the transaction in process at the time of dissolution.

M/s. R.B.M ASSOCIATES,

S. K. Maheshwari,

(Partner)

(894-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फूड सोल इंडिया के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/0140/15, वर्ष 2015-2016 है. इस फर्म से दिनांक 06 जून, 2018 को एक भागीदार श्री धीरज शर्मा पिता श्री गौरीशंकर शर्मा, निवासी-प्लाट नंबर 19, गायत्री नगर, रनाला कामठी सिटी, नागपुर (महाराष्ट्र) सेवानिवृत्त हो रहे एवं दिनांक 06 जून, 2018 को एक भागीदार 2. संजय तिवारी पिता श्री अभिलाष चन्द्र तिवारी, निवासी-म. नं. 4, विवेकानंद कॉलोनी, जजेस कॉलोनी के सामने, तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) है. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 06 जून, 2018 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नंबर 1, ग्राम मुरमारी, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) में स्थित है. सर्वसाधारण को सूचनार्थ है.

प्रदीप कुमार सरेठा, (एडवोकेट).

(897-बी.)

छिंदवाड़ा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. ताप्ती एग्रो इन्डस्ट्री के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/0072/15, दिनांक 25-02-2015 है. इस फर्म से दिनांक 01-10-2018 से एक भागीदार (1) श्री राहुल साँव पिता श्री कुन्दन कुमार साँव, निवासी-सिवनी रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में एक भागीदार दिनांक 01-10-2018 से (1) श्री नीलेश शाह पिता श्री अमृतलाल शाह, निवासी-नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) शामिल हो रहे हैं और एक पार्टनर जो (1) श्री धरमवीर जुनेजा पिता श्री नन्दलाल जुनेजा, निवासी स्टेशन रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) यथावत हैं एवं संशोधन उपरान्त भागीदारी फर्म में भागीदारी क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 50% एवं नये भागीदारी क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 50% होगा. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-10-2018 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

प्रदीप कुमार सरेठा, (एडवोकेट).

(898-बी.)

छिंदवाड़ा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. पैरामाउन्ट एसोसीएट के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/00171/18, दिनांक 01-10-2018 है. इस फर्म से दिनांक 14-10-2018 से एक भागीदार (1) श्री मो. हमीद पिता श्री गुलाम मो., निवासी वार्ड नं. 22, बड़ा इमामबाड़ा, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), 2. मो. इमरान पिता श्री मो. हमीद, निवासी वार्ड नं. 22, बड़ा इमामबाड़ा, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), 3. श्री असलत खान पिता श्री माखमत जान, निवासी वार्ड नं. 15, भगतसिंह वार्ड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), 4. श्री रमीज खान पिता श्री असलत खान, निवासी वार्ड नं. 15, भगतसिंह वार्ड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में एक भागीदार दिनांक 14-10-2018 से (1) श्री नितिन कुमार राय पिता स्व. श्री मोहन लाल राय, निवासी को-ऑपरेटिव बैंक कॉलोनी, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), 2. श्री सुनील कुमार राय पिता श्री परमानंद राय, निवासी-साईं मंदिर के पीछे, मोती नगर लोनिया करवल, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) शामिल हो रहे हैं और दो पार्टनर जो (1) श्री मो. इमरोज पिता श्री मो. हमीद, निवासी-वार्ड नं. 22, बड़ा इमामबाड़ा, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), 2. श्री जफर खान पिता श्री असलत खान, निवासी जाफर नगर, जामा मस्जिद के पास, पटेल चक्की, नागपुर, तह. एवं जिला नागपुर (महा.) यथावत हैं एवं संशोधन उपरांत भागीदारी फर्म में भागीदारी क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 30% एवं भागीदार क्र. 2 का भागीदारी प्रतिशत 30% एवं नये भागीदारी क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 20%, क्र. 2 का भागीदारी प्रतिशत 20% होगा.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 14-10-2018 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

प्रदीप कुमार सरेठा, (एडवोकेट).

(899-बी.)

छिंदवाड़ा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे. आमला एग्रो इन्डस्ट्री के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/01/0082/13, दिनांक 29-05-2013 है. इस फर्म से दिनांक 01-10-2018 से एक भागीदार (1) श्री कुन्दन कुमार साँव पिता श्री बैजनाथ साँव, निवासी-सिवनी रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में एक भागीदार दिनांक 01-10-2018 से (1) श्री करण शाह पिता श्री महेश शाह, निवासी-नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

शामिल हो रहे हैं और एक पार्टनर जो (1) श्री प्रियाकान्त जुनेजा पिता श्री नन्दलाल जुनेजा, निवासी स्टेशन रोड़, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) यथावत हैं एवं संशोधन उपरान्त भागीदारी फर्म में भागीदारी क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 50% एवं नये भागीदारी क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 50% होगा. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-10-2018 से संशोधन उपरान्त दो साझेदार रहेंगे. सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी.

प्रदीप कुमार सरेठा, (एडवोकेट).

छिंदवाड़ा.

(900-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. शान्ती कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बजरंग नगर, रीवा, पंजीयन क्र. R-Div 2004/2005 के भागीदार श्री फणीन्द्रमणि मिश्रा पिता श्री हरप्रसाद मिश्र, बजरंग नगर, रीवा, दिनांक 31-10-2018 से फर्म से पृथक् हो गए हैं. इनके स्थान पर श्री सलिल मिश्र पिता श्री प्रमोद मिश्र, बजरंग नगर, रीवा, फर्म में दिनांक 31-10-2018 से सम्मिलित हो रहे हैं. दिनांक 31-10-2018 से भागीदार श्री फणीन्द्रमणि मिश्रा पिता हरप्रसाद मिश्र, बजरंग नगर, रीवा का फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा.

मे. शान्ती कन्स्ट्रक्शन कंपनी,

प्रमोद मिश्र,

(भागीदार).

बजरंग नगर, रीवा.

(903-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अपने पक्षकार मेसर्स वेदान्त कन्स्ट्रक्शन द्वारा पार्टनर श्री मनीष शर्मा एवं श्री कुमुद कुमार भट्ट के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेसर्स वेदान्त कन्स्ट्रक्शन एक भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार श्री मनीष शर्मा एवं श्री कुमुद कुमार भट्ट दिनांक 11-12-2017 तक रहे हैं, भागीदार श्री कुमुद कुमार भट्ट ने दिनांक 11-12-2017 को स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छा से स्वयं को भागीदारी फर्म से अलग करते हुए स्वयं को रिटायर घोषित कर सर्वसम्मति से 3 नये सदस्यों श्री राजपाल सिंह बुंदेला, निवासी-म. नं. 37ए वनगुवनकलां, ललितपुर (उ. प्र.), श्री राजेश सोनी, निवासी-91, रोज ग्राउंड फ्लोर, प्लेटिनम पार्क, माता मंदिर, भोपाल एवं श्री पुनित सिंह परिहार, निवासी-01, चौहान मोहल्ला, ललितपुर (उ. प्र.) को रिटायर हुए सदस्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लेनदेन आदि शेष नहीं है, उपरोक्त नये भागीदारी अनुबंध के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, सोसायटी, वित्तीय संस्था, बैंक अथवा किसी का भी हित है, अथवा किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, समय सीमा समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी. सूचित हों.

धीरज डागा,

(अधिवक्ता).

(902-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स खैरा एण्ड संस, भरहुत नगर, जिला सतना (म. प्र.) जो कि भागीदारी फर्म है. जिसका फर्म पंजीयन क्र. 05/26/01/00027/06 है. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए दिनांक 3-12-2018 को संशोधित भगिता विलेख के द्वारा फर्म की भागीदार नं. 02 श्रीमती मीरा खैरा की दिनांक 04-11-2018 को मृत्यु हो जाने के कारण फर्म के भागीदार नं. 03 श्री भरत खैरा दिनांक 04-11-2018 से अपनी स्वेच्छा से फर्म मेसर्स खैरा एण्ड संस की भागीदारी से पृथक् (सेवानिवृत्त) हो गये हैं. जिनका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेनादेना नहीं होगा एवं फर्म के नये भागीदार के रूप में श्रीमती प्रिंसी खैरा दिनांक 04-11-2018 से फर्म में सम्मिलित हो गई हैं तथा शेष भागीदार यथावत हैं.

अतः जिस किसी को फर्म अथवा सेवानिवृत्त भागीदार से संबंधित आपत्ति हो वो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अंदर सूचित करें.

द्वारा फर्म - मेसर्स खैरा एण्ड संस,

संदीपन खैरा,

(भागीदार).

(904-बी.)

विविध
आयुक्तों एवं जिलाध्यक्षों की सूचनाएं
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला निवाड़ी

निवाड़ी, दिनांक 05 जनवरी, 2019

क्रमांक/55/आरडीएम/कले.नि/2019.-मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ 2(क)10/2015/बी-3/दो भोपाल दिनांक 06 सितम्बर 2018 अनुसार थाना पृथ्वीपुर के ग्राम चौमो एवं थाना जैरोन के ग्राम लुहरगुवाँ में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की गई है. तदनुसार थाना पृथ्वीपुर के एवं थाना जैरोन के अंतर्गत आने वाले निम्नांकित ग्राम पुलिस चौकी लुहरगुवाँ एवं चौमो में सम्मिलित रहेंगे.

नवीन पुलिस चौकी ग्राम चौमो थाना पृथ्वीपुर

1. ग्राम चौमो, 2. ग्राम बिरौरा पहाड, 3. ग्राम सकेरा भडारन, 4. ग्राम बंजारीपुरा, 5. ग्राम गोवापूर्वी, गोवापश्चिमी, जशरथपुरा
6. ग्राम बारहो खुर्द, 7. ग्राम मनिया, 8. ग्राम कुवरपुरा, 9. ग्राम गुलैदा, 10. ग्राम चिकटा, 11. ग्राम मनेथा, 12. ग्राम पहाडी बक्सी, 13. ग्राम वितर.

नवीन पुलिस चौकी ग्राम लुहरगुवाँ थाना जैरोन

1. ग्राम लहरगुवाँ, 2. ग्राम ककावनी, 3. ग्राम ककावनीभाटा, 4. ग्राम ममौरा, 5. ग्राम पंचमखेरा, 6. ग्राम मजल, 7. ग्राम मजरासूरी
8. ग्राम जीरावनि, 9. ग्राम भितारा, 10. ग्राम मौजीपुरा.

उपर्युक्तानुसार पुलिस चौकी चौमो एवं लुहरगुवाँ में राजस्व ग्राम सम्मिलित रहेंगे तदनुसार सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है.

(87)

अक्षय कुमार सिंह,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2019

निविदा सूचना

क्र. जी. बी./चार(24)2018-19/270.— लोकसभा निर्वाचन, 2019 के भिन्न-भिन्न आकार एवं रंगो के लिफाफों (निर्धारित स्पेसिफिकेशन) को 80 जीएसएम. के पेपर पर मुद्रण, बंधन एवं प्रदाय हेतु लिफाफा निर्माताओं से ई-टेण्डरिंग वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** से ऑनलाईन की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती हैं. निविदा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी.

ऑनलाईन निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(97)

Bhopal, Dated 31st January, 2019

TENDER NOTICE

No. GB-IV/Paper (24)/2018-19/270.-Online Bidding are invited on **www.mptenders.gov.in** from the Envelopes making Manufacturers for the supply different sizes and colours of Envelopes (As per Specification) for the Lok Sabha Election 2019. Rates are including 80 GSM Paper, Printing, Binding and Other charges with all taxes are invited as per key dates. The Envelope of Hard Copy and downloading of E-tender documents on 11-02-2019 at 3:00 P.M. in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representative as may be present.

2. In all respects complete Hard Copy of tender document certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates.
3. Tender Notice and conditions of tender with technical details are also available at website **www.govtpressmp.nic.in**.
3. All Corrigendum/amendment/changes, if any will be issued and made available only on **www.mptenders.gov.in**.

ARUN KUMAR TOMER,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(97-A)

शासकीय क्षय चिकित्सालय, नौगांव में भर्ती शुदा मरीजों को भोजन प्रदाय हेतु वर्ष 2019-20 के लिये अधोलिखित सामग्री क्रय करने हेतु मुहर बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदायें भेजने की अंतिम तिथि 14 मार्च, 2019 दिन 12 बजे तक है। निविदायें दिनांक इसी दिन समस्त उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष दोपहर 12 बजे खोली जाएंगी निविदा प्रपत्र एवं नियमावली उपरोक्त कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 20 फरवरी, 2019 में नगद 100/- देकर प्राप्त की जा सकती है। अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधोलिखित सामग्री नियमावली के तहत क्रय की जानी है।

वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3	वर्ग-4	वर्ग-5	वर्ग-6	वर्ग-7
1. गेहूँ (अच्छी किस्म की) (शासकीय उचित मूल्य की)	1. दाल अरहर (कानपुरी)	1. धनिया पिसी	1. सब्जी	1. मौसमी फल	1. डबल रोटी दलिया, विस्कुट	1. दूध (साँची का उपलब्ध न होने पर)
2. चावल	2. दाल मूंग (छिलका रहित)	2. हल्दी पिसी				
3. शक्कर	3. खाद्य तेल	3. मिर्च पिसी				
4. चायपत्ती	4. पोहा उपमा	4. जीरा खड़े				
		5. गरम मसाला खडा.				
		6. नमक पिसा आयोडीन युक्त				

बी. के. मिश्रा,
अधीक्षक क्षय चिकित्सालय
नौगांव, जिला छतरपुर.

(99)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र. 0001/बी-113(1)2018-19.

जारी दिनांक 16 जनवरी, 2019

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री नितेश पिता नानकराम मालाकार, निवासी बड़गाँवमाली अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप

में पंजीयन करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 25 फरवरी, 2019 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

“अनुसूची”

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :-	नाभावंशी फूलमाली समाज ट्रस्ट, बड़गाँवमाली, तहसील खण्डवा.
चल संपत्ति :-	29,000/- रुपये बचत खाते में जमा राशि.
अचल संपत्ति :-	निरंक.

(86)

संजीव केशव पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगवां, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक, अनुभाग मझगवां, जिला सतना के समक्ष.

आवेदक श्री ऋंगारधाम उदासीन आश्रम निजी न्यास, सिरसावन, चित्रकूट द्वारा महन्त अवादितदास चेला श्री विज्ञानदास जी महाराज, निवासी रजौला, चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना, म. प्र. ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20 फरवरी, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : श्री ऋंगारधाम उदासीन आश्रम (निजी न्यास), सिरसावन, चित्रकूट तहसील मझगवां, जिला सतना (म. प्र.)
2. अचल सम्पत्ति : मौजा रजौला की आ. नं. 54/1, 54/2, 55, 56/2/क/1/26 कुल रकबा 1.101 एकड़.
3. चल सम्पत्ति : निरंक

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(100)

ओम नारायण सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2019

प्र. क्र. 0002/बी-113/18-19.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र./223/रीडर/नजूल/2019.-जैसा कि आवेदक रमेश कुमार आसूदानी अध्यक्ष, स्व. श्रीमती ईश्वरी देवी मंघूमल आसूदानी चैरीटेबल

ट्रस्ट द्वारा संचालित माँ ईश्वरी-सुशीला भवन, सीहोर नाका, शिखर होटल के पीछे, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल द्वारा श्रीमती ईश्वरी देवी मंघूमल आसूदानी चैरीटेबल ट्रस्ट, सीहोर नाका, शिखर होटल के पीछे, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-4, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 प्रस्तुत किया गया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “ईश्वरी देवी मंघूमल आसूदानी चैरीटेबल ट्रस्ट”
सीहोर नाका, शिखर होटल के पीछे, संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़), भोपाल. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैरागढ़, भोपाल खाता नं. 3445643343
जमा राशि 1,20,000/- |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निरंक. |

(101)

के. के. रावत,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली हप्पी क्षेत्र, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अनिल चौधरी पिता प्रभुदयाल चौधरी, निवासी-ए-4, मंगलमूर्ति नगर, चितावद रोड, इन्दौर द्वारा “कॉमसिन फाउंडेशन ट्रस्ट” पता-3-4, जावरा कम्पाउंड, एम. वाय. हॉस्पिटल के सामने, इंदौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------|---|--|
| ट्रस्ट का नाम | : | “कॉमसिन फाउंडेशन ट्रस्ट” |
| पता | : | पता-3-4, जावरा कम्पाउंड, एम. वाय. हॉस्पिटल के सामने, इंदौर |
| चल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 1,00,000/- है.
(अक्षर में एक लाख मात्र). |
| अचल संपत्ति | : | निरंक है. |

आज दिनांक जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(102)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक न्यासी श्री श्याम कुमार अग्रवाल पिता श्री जनकलाल अग्रवाल, निवासी-52, मालीपुरा, मेन रोड, जूनी इन्दौर द्वारा

“जे. जे. अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट” 111, मानस भवन, 11, आर. एन. टी. मार्ग, इंदौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“जे. जे. अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट”
पता	:	पता-“जे. जे. अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट” 111, मानस भवन, 11, आर. एन. टी. मार्ग, इंदौर
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- है. (अक्षर में ग्यारह हजार मात्र)।
अचल संपत्ति	:	निरंक है।

आज दिनांक जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,
पंजीयक.

(103)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ट्रस्ट (शहर), रतलाम

क्र./02/बी-113/2018-19.

रतलाम, दिनांक 08 जनवरी, 2019

फार्म-4

नियम 5 (1) देखिये

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र./02/आर-3/19.—आवेदक श्री धोबी बसीठा मारवाडी समाज देवल माता मंदिर तेलियों की सड़क, रामगढ़, रतलाम के अध्यक्ष श्री संदीप नागौरा, निवासी कसारा बाजार, रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत “श्री धोबी बसीठा मारवाडी समाज देवल माता मंदिर तेलियों की सड़क, रामगढ़, लोक न्यास, रतलाम, मध्यप्रदेश” के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 25 जनवरी, 2019 को की जावेगी।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 25 जनवरी, 2019 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित रहें। नियत दिनांक के उपरांत प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पब्लिक ट्रस्ट का नाम तथा सम्पत्ति का विवरण

- न्यास का पूरा नाम एवं पता : “श्री धोबी बरोठा मारवाडी समाज देवल माता मंदिर तेलियों की सड़क, रामगढ़ लोक न्यास, रतलाम”
पता-श्री धोबी बसीठा मारवाडी समाज देवल माता मंदिर तेलियों की सड़क, रामगढ़, रतलाम, मध्यप्रदेश रहेगा।
- अचल सम्पत्ति : उक्त समाज का मंदिर व परिसर मय मंदिर विराजीत देवमूर्ति श्री देवलमाता का है।
- चल सम्पत्ति : रु. 5,000/- बैंक में जमा है व देवमूर्ति के पोशाक, चांदी के आभूषण, पूजा-पाठ की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, चंवर, मंदिर परिसर में उपयोग की बिछातें, जल सेवा के उपकरण सामग्री है।

प्रवीण फुलपगारे,
रजिस्ट्रार.

(107)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, जिला छतरपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-124-2018- अठारह-5 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा छतरपुर निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं। इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

“अनुसूची”

छतरपुर निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों की सूची

1. गौरैया
2. मौराहा

उक्त अंगीकृत मानचित्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तारीख से तीस दिवस तक नगर पालिका परिषद् छतरपुर तथा सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छतरपुर के कार्यालय में शासकीय कार्य दिवसों में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

सुनील जॉन मिन्ज,
सहायक संचालक.

(98)

कार्यालय उप-पंजीयक,सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर

सिहोर, दिनांक 14 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/43.-निम्नलिखित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं, जिसका पंजीयन क्रमांक/ दिनांक उनके सम्मुख दर्शित है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1157/सीहोर दिनांक 10-09-2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहाकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर निम्नलिखित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शित कालम नम्बर 6 में उल्लेखित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे:-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापक नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, जताखेडा	आष्टा	1339/24-05-2006	श्री आर. के. रायचूर
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कानराखेडी	आष्टा	1045/19-07-1994	श्री आर. के. रायचूर
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बडझीरी	आष्टा	1555/09-09-2011	श्री आर. के. रायचूर
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गउखेडी	इछावर	1294/30-04-2005	श्री आर. सी. रैकवाल
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गोपालपुर	आष्टा	1041/19-07-1994	श्री आर. के. रायचूर

1	2	3	4	5
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, लसूडिया सूखा	आष्टा	1044/19-07-1994	श्री आर. के. रायचूर
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बादरिया हाट	आष्टा	964/09-11-1989	श्री आर. के. रायचूर
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नौगाँव	आष्टा	1323/23-12-2005	श्री एस. के. पाठक
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, भीलखेड़ी बरामद	आष्टा	1526/13-12-2010	श्री एस. के. पाठक
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, फूल मागरा	सीहोर	1322/12-03-2005	श्री डी. सी. जैन
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, गोलूखेड़ी	इछावर	1219/13-04-2003	श्री आर. सी. रैकवाल
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पिपल्या सलासी	आष्टा	814/28-01-1984	श्री एस. के. पाठक
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, बैदाखेड़ी	आष्टा	697/08-04-1976	श्री एस. के. पाठक
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, आनन्दीपुरा	आष्टा	948/25-10-1989	श्री एस. के. पाठक
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, टिगरिया	आष्टा	965/09-11-1989	श्री एस. के. पाठक

यह आदेश आज दिनांक 14 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रसाद सिंह,

उप-पंजीयक.

(88)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1754.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/93, रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017 अनुसार के द्वारा साईं कृपा श्रमिक खदान सहकारी समिति मर्या., गैरतगंज, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था।

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई।

चूंकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये साईं कृपा श्रमिक खदान सहकारी समिति मर्या., गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(89)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1755.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/94, रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017 के द्वारा श्रवण मशाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सालेरा, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 961, दिनांक 25 अगस्त, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था।

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई।

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्रवण मशाला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सालेरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 961, दिनांक 25 अगस्त, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(90)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1756.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/105, रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017 के द्वारा ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., देवरी, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 559, दिनांक 30 अप्रैल, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था।

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई।

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण मत्स्य सहकारी समिति मर्या., देवरी, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 559, दिनांक 30 अप्रैल, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(91)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1757.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/110, रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017 के द्वारा संघनी महिला बचत सहकारी समिति मर्या., विनेका, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 974, दिनांक 31 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था।

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई।

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये संघनी महिला बचत सहकारी समिति मर्या, विनेका, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 974, दिनांक 31 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(92)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1758.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/966, रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सोडरपुर, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1034, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था।

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई।

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सोडरपुर, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 1034, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(93)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1759.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/963, रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था खेजडा महलपुर, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 28 जनवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था।

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई।

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था खेजडा महलपुर, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 28 जनवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(94)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1760.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/964, रायसेन, दिनांक 16 जनवरी, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित परासी, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूंकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित परासी, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(95)

रायसेन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1761.-कार्यालय सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/967, रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था महगॉव, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1006, दिनांक 28 जनवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूंकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है, अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था महगॉव, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 1006, दिनांक 28 जनवरी, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(96)

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/निर्वाचन-2/स्वप्रेरणा/2018/4311, भोपाल दिनांक

28 दिसम्बर, 2018 विष्णुपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित रतलाम का निर्वाचन अधिकारी श्री आर.के.खन्ना, सहकारी निरीक्षक को नियुक्त किया गया था. निर्वाचन अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संस्था निर्वाचन नहीं करवाने एवं अकार्यशील होने बाबद प्रतिवेदित किया गया है. जिसके परिपालन में संस्था को कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षक) रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में विष्णुपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम अकार्यशील स्थिति में होने से “द” वर्ग प्रदाय किया गया. इसी वर्ग के आधार पर संस्था के अकार्यशील होने के कारण संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाना उचित होता है. मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26-07-1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विष्णुपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 400, दिनांक 31-05-1986 को धारा 69 के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर प्रदान करता हूँ कि सोसायटी अकार्यशील होने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जायें.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर.के.खन्ना,
सहकारी निरीक्षक.

(104)

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/निर्वाचन-2/स्वप्रेरणा/2018/5803, भोपाल दिनांक 23 जून, 2018 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियासीर रतलाम का निर्वाचन अधिकारी सुश्री दीपिका केमा, उप-अंकेक्षक को नियुक्त किया गया था. निर्वाचन अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संस्था निर्वाचन नहीं करवाने एवं अकार्यशील होने बाबद प्रतिवेदित किया गया है. जिसके परिपालन में संस्था को कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षक) रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियासीर रतलाम अकार्यशील स्थिति में होने से “द” वर्ग प्रदाय किया गया. इसी वर्ग के आधार पर संस्था के अकार्यशील होने के कारण संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाना उचित होता है. मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26-07-1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियासीर रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 22-09-2017 को धारा 69 के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर प्रदान करती हूँ कि सोसायटी अकार्यशील होने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जायें.

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

दीपिका केमा,
उप-अंकेक्षक.

(105)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2019-माघ 19 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा. राज्य के निर्माकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील उचेहरा, अमरपाटन (सतना), त्योंथर (रीवा), सुहागपुर, बुढार (शहडोल), चुरहट (सीधी), सुभासपुरा, गरोट, मन्दसौर,सीतामऊ (मन्दसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, ताल, रावटी, पिपलोद, रतलाम (रतलाम), महिदपुर, तराना, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), सुसनैर, नलखेड़ा, आगर (आगर), शाजापुर (शाजापुर), सोनकच्छ, देवास, सतवास, उदयनगर, खातेगांव (देवास), थांदला, मेघनगर, पेटलावद (झाबुआ), कुच्छी, गंधवानी, बदनावर, डही (धार), सांवेर, गोतमपुरा (इन्दौर), बड़वाह, महेश्वर, हातोद, महेश्वर, खरगौन, कसरावद, भगवानपुरा, झिरन्या, खरगौन, राजकोट, पानसेमल, पाटी, बरला, निवाली (बड़वानी), खालवा, पन्थाना, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर, नैपानगर (बुहानपुर), बैरसिया (भोपाल), भेंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शागापुर, मुल्ताई, आठनेर, आमला (बैतूल), आष्टा, श्यामपुर, नसरूल्लागंज (सीहोर), बजाग (डिण्डोरी), सौंसर, बिछुआ, अमरवाड़ा, मोहखेड़, हरई, चांद, पांडुर्ना, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, छपारा, धनोरा, घंसौर (सिवनी), कटंगी, लालबर्वा, तिरोड़ी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील गौरीहार (छतरपुर), सेमरिया (रीवा), गोपदबनास, रामपुरनैकिन (सीधी), चितरंगी (सिंगरौली), भानपुरा, मल्हारगढ़, श्यामगढ़ (मन्दसौर), जावद, मनासा (नीमच), नागदा (उज्जैन), मोमनबड़ोदिया, शुजालपुर, कालापिपल (शाजापुर), धरमपुरी (धार), देपालपुर (इन्दौर), सेगांव (खरगौन), ठीकरी, संधवा (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर, सारंगपुर, पचोर (राजगढ़), हुजूर (भोपाल), नटेरन (विदिशा), इच्छावर, रहेंटी (सीहोर), सिलवानी, बैतूल, चिचोली (बैतूल), सिवनी, सोहागपुर (होशंगाबाद), शाहपुर (जबलपुर), सिलवानी (रायसेन), केवलारी, लखनादौन (सिवनी), परसवाड़ा, विरसा, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील राधोगढ़ (गुना), गुन्नौर, पवई (पन्ना), बीना, केसली (सागर), रामपुरबघेलान, मैहर (सतना), सिरमौर, गुढ़, जबा (सतना), जयसिंहनगर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), सिंहावल (सीधी), देवास, सिंगरौली (सिंगरौली), नीमच (नीमच), गुलाना (शाजापुर), बड़ोद (आगर), सरदारपुर (धार), खिचलीपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बासोदा, विदिशा, सिरोंज (विदिशा), सरदारपुर (धार), खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), रायसेन, गोहरगंज (रायसेन), बाबई, इटारसी (होशंगाबाद), सीहोरा, पनागर

(जबलपुर), शाहपुरा (डिण्डोरी), तामियां, परासिया (छिन्दवाड़ा), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, लहार, रोना, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेंवड़ा, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बैराढ़, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), गुना, बमोरी, आरोन, चांचोड़ा, कुम्भराज (गुना), जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, नौगांव, राजनगर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, देवेन्द्रनगर, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), जैसिंहनगर, हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जबेरा, तेंदूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगावां, नागोद, रामनगर, विरसिंहपुर (सतना), मऊगंज, हनुमना, हुजूर, मनगवां, रायपुरकुर्च. (रीवा), ब्योहारी, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुरा (उमरिया), मझौली, कुसमी, बरही (सीधी), देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), नीमच (नीमच), बदनावर (धार), इन्दौर (इन्दौर), राजगढ़, व्यावरा (राजगढ़), लटेरी, कुरवाई, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बुधनी (सीहोर), गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद, पिपरिया, बनखेड़ी, पंचमढी (होशंगाबाद), जबलपुर, कुण्डम, पाटन, मझौली (जबलपुर), बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, मुडवारा, विजयराघोगढ़, बरही (कटनी) डिण्डोरी (डिण्डोरी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(य) 245.0 मि.मी. से 449.9 मि.मी. तक:- तहसील (श्योपुर), मेहगांव (भिण्ड), दतिया (दतिया), ईशागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), पृथ्वीपुर, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर, बिजावर (छतरपुर) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(2) 500.0 मि. मी. से अधिक:- तहसील निवाड़ी (टीकमगढ़) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. **जुताई :-** जिला मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, बालाघाट में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **बोनी:-** जिला मुरैना, शहडोल, सिंगरौली, बड़वानी व बालाघाट में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **रोपाई :-** जिला रीवा, सिवनी में रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति:-** . .

6. **कटाई :-** जिला आगर में सोयाबीन की कटाई चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **सिंचाई :-** जिला टीकमगढ़, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, मन्दसौर, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर में सिंचाई हेतु पानी कम मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **पशुओं की स्थिति:-** . .

9. **चारा :-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. **बीज:-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

11. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	56.0				
2. पोरसा	59.0				
3. मुरैना	116.2				
4. जौरा	150.0				
5. कैलारस	103.0				
6. सबलगढ़	159.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, मूँग, उड़द, कपास समान. (2) उपरोक्त - सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	73.3				
2. कराहल	276.6				
3. विजयपुर	142.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	185.0				
2. भिण्ड	120.0				
3. गोहद	229.0				
4. मेंहगांव	254.8				
5. लहार	147.0				
6. रौन+मिहोना	108.4				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	125.5				
2. डबरा	178.0				
3. भितरवार	226.9				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	115.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, मूँगफली मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	114.0				
2. दतिया	269.0				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	238.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	130.0		4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	141.0				
3. खनियाधाना	203.0				
4. नरवर	157.0				
5. करैरा	135.0				
6. कोलारस	139.0				
7. पोहरी	158.0				
8. बैराढ़	94.8				
9. बदरवास	88.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	129.0		4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	306.0				
3. अशोकनगर	115.0				
4. चन्देरी	354.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	95.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	49.0				
3. बमोरी	83.0				
4. आरोन	97.0				
5. चाचौड़ा	60.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	60.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	500.0		4. (1) ज्वार, उड़द, मूँग, तिल अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	264.0				
3. जतारा	217.0				
4. टीकमगढ़	191.0				
5. बल्देवगढ़	88.0				
6. पलेरा	217.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	426.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गौरीहार	20.0		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नौगांव	216.0				
3. छतरपुर	269.9				
4. राजनगर	159.0				
5. बिजावर	286.2				
6. बड़ा मलहरा	238.0				
7. लवकुशनगर	55.0				
8. बक्सवाहा	150.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	74.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना+देवेन्द्रनगर	60.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अमानगंज+गुन्नौर	48.2				
4. पवई+सिमरिया	45.0				
5. शाहनगर+रैपुरा	119.5				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	48.0		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	115.5		ज्वार, मक्का, तुअर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	59.0		मूँगली आलू-प्याज कम.		
4. सागर	115.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी		
5. रेहली	107.0		हुई हैं.		
6. देवरी	64.0				
7. गढ़ाकोटा	66.2				
8. राहतगढ़	174.0				
9. जैसी नगर	67.4				
9. कंसली	48.0				
10. मालथोन	151.0				
11. शाहगढ़	121.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	92.0		4. (1) सोयाबीन, मूँग, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	84.3		उड़द, धान, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	108.0		तुअर कम.		
4. पथरिया	67.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	147.0				
6. तेन्दूखेड़ा	86.0				
7. पटेरा	102.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	134.9		4. (1) धान, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	94.0		तुअर, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	52.0		कोंदो-कुटकी कम.		
4. नागौद	126.0		(2) . .		
5. उचेहरा	16.0				
6. अमरपाटन	13.0				
7. रामनगर	60.0				
8. मैहर	37.0				
9. बिरसिंहपुर	60.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	13.0		4. (1) धान, मूँग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	37.2		सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	67.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	83.6				
5. हजूर	102.8				
6. गुढ़	45.4				
7. मनगवां	74.2				
8. सेमरिया	31.2				
9. जवा	49.0				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुलियान	79.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	7.0		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, तिल अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	96.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. जयसिंहनगर	48.0				
4. बुढ़ार	10.0				
5. गोहपारू	77.0				
6. जैतपुर	75.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	67.6		4. (1) धान, मक्का, तुअर, कोदों-कुटकी, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	45.4		सोयाबीन तिल कम, धान, तुअर सुधरी हुई.		
3. कोतमा	60.6		शेष फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	152.0		(2) . .		
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	65.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	99.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. चोंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	83.9				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	26.0		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग कम, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	52.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	166.0				
4. कुसमी	65.5				
5. चुरहट	7.0				
6. बहरी	103.0				
7. रामपुरनैकिन	25.5				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	24.3		4. (1) मक्का, ज्वार, कोदों-कुटकी समान. तुअर, धान कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	57.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	88.4				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	6.8		4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	34.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	23.5				
4. गरोठ	14.0				
5. मंदसौर+दलोदा	0.5				
6. श्यामगढ़	31.4				
7. सीतामऊ	5.7				
8. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	18.0			4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	78.0			उड़द, मक्का, तुअर मूँग	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..			तिल, ज्वार कम.		
4. जीरन	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
5. रामपुर	..					
6. मनासा	22.0					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	3.4			4.(1) सोयाबीन समान. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	11.0			कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	9.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	4.0					
5. ताल	2.0					
6. रावटी	10.0					
7. पिपलोदा	4.0					
8. रतलाम	7.4					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) सोयाबीन, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	2.0			मक्का, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	15.0			(2) सोयाबीन समान हैं.		
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	7.4					
6. बड़नगर	5.0					
7. नागदा	26.0					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	सोयाबीन कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	39.0			4. (1) सोयाबीन अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	13.0			(2) सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	3.8					
4. आगर	13.4					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	20.0			4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	15.8			तुअर, उड़द अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	22.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापिपल	28.0					
5. पोलाय कलां	..					
6. गुलाना	48.0					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	12.0			4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			अधिक. ज्वार, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	13.0			कपास, तिल कम.		
4. बागली	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. कन्नोद	..					
6. हार्टपिपल्या	..					
7. सतवास	4.0					
8. उदयनगर	10.4					
9. खातेगांव	13.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	7.2		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर रामा	10.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. पेटलावद	4.0				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
29.*जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	11.9		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	35.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	10.0				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	27.0				
7. गंधवानी	15.0				
8. डही	2.5				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	27.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	2.4		(2) . .		
3. इन्दौर	70.2				
4. गोतमपुरा	9.0				
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	4.0				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	11.4		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली,कपास, तुअर अधिक, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	8.4		(2) . .		
3. सेगांव	20.0				
4. खरगौन	9.0				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	15.0				
7. भगवानपुरा	15.4				
8. भीकनगांव	4.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	2.0				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4.(1) सोयाबीन,मक्का, कपास, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	23.0		(2) . .		
3. राजपुर	13.0				
4. सेंधवा	20.0				
5. पानसेमल	9.0				
6. पाटी	15.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	3.0				
9. निवाली	13.0				
10. चाचरिया	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. खण्डवा	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, कपास, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. पुनासा	. .		मूँगफली, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पंधाना	10.0				
5. हरसूद	16.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	9.2		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	24.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	16.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	75.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	26.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	35.0				
4. ब्यावरा	61.2				
5. सारंगपुर	30.0				
6. पचोर	26.0				
7. नरसिंहगढ़	49.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	122.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	46.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	110.0				
4. बासोदा	47.4				
5. नटेरन	30.0				
6. विदिशा	44.5				
7. गुलाबगंज	59.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	68.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	8.3		4. (1) सोयाबीन, उड़द, ज्वार, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	20.4		धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागड	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	11.5		4. (1) मक्का, उड़द अधिक. गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	10.0		धान समान. सोयाबीन, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	31.0		मूँग-मोंठ, तुअर कम.		
4. नसरुल्लागंज	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
5. रेहटी	26.0				
6. श्यामपुर	12.0				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	64.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	37.2		4. (1) सोयाबीन, धान, तुअर, मक्का, उड़द, मूँग, मूँगफली, गन्ना, ज्वार	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	102.8		(2) . .		
3. बेगमगंज	82.0				
4. गोहरगंज	50.0				
5. बरेली	109.8				
6. सिलवानी	32.2				
7. बाड़ी	74.0				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	107.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	25.6		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	4.5				
3. घोड़ाडोंगरी	9.0				
4. शाहपुर	9.6				
5. चिचोली	24.7				
6. मुल्ताई	3.7				
7. आठनेर	1.5				
8. आमला	11.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	76.1		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली अधिक. तुअर, उड़द, मूँग, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	26.0				
3. बावई	47.0				
4. इटारसी	35.8				
5. सोहागपुर	31.0				
6. पिपरिया	77.4				
7. बनखेड़ी	77.4				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	67.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) धान, मक्का, उड़द, मूँग अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .				
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	24.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	53.2		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	66.4				
3. सीहोरा	43.4				
4. पाटन	88.4				
5. मझौली	110.0				
6. शाहपुरा	29.8				
7. पनागर	47.4				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	147.2		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल समान. धान समान. (2) शेष फसलें सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	59.0				
3. रीठी	167.4				
4. बड़वारा	64.4				
5. मुड़वारा (कटनी)	120.4				
6. विजयराघवगढ़	74.1				
7. बरही	82.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. ..
1. नरसिंहपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गोटेगांव	..		(2) ..		
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. *जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2 जुताई एवं बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. ..
1. मण्डला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नैनपुर	..		(2) ..		
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	72.0		4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कूटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	50.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बजाग	14.9				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. धान, रोपाई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	2.4		4. (1) धान, मक्का अधिक. मूँगफली समान. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	47.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	34.0				
4. जुन्नारदेव	13.0				
5. सांसर	2.0				
6. बिछुआ	3.6				
7. अमरवाड़ा	16.6				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	25.4				
10. मोहखेड	1.2				
11. हरई	15.6				
12. चांद	1.2				
13. पाहुर्णा	9.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	14.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	..		(2) ..		
3. कुरई	..				
4. कवलारी	23.3				
5. लखनादोन	29.3				
6. छपारा	15.3				
7. धनोरा	2.1				
8. घंसोर	8.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	156.0		4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	59.7		(2) धान समान.		
3. किरनापुर	149.6				
4. बैहर	35.2				
5. वारासिवनी	91.0				
6. कटंगी	7.2				
7. लालबर्सा	13.0				
8. तिरोडी	9.0				
9. परसवाड़ा	33.8.				
10. बिरसा	30.2				
11. खैरलाँजी	34.0				

*जिला:- जिला नरसिंहपुर, मण्डला, अलीराजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.